राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ,राज. जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88/2013/ दिनांक :

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–24 (27)/चिस्वा./ग्रुप–3/2009 दिनांक 08.09.2009 के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि नर्सिंग छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक राशि नही लीं जावे ओर जो हॉस्टल में रहते है उन्ही से हॉस्टल फीस ली जावे, तथा किसी भी छात्र से बैंक गारन्ठी नही ली लावें।

इस क्रम में इस निदेशालय के परिपत्र क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/09/438 दिनांक 14.09.2009 एवं 1015 दिनांक 27.08.2012 के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा इन निर्देशों की अवहेलना की स्थिति को असंवैधानिक माना जाकर संबंधित संस्थान के खिलाफ राज्य सरकार स्तर से उनकी एनओसी निरस्त करने की कार्यवाही अमल में ली जावे।

इस निर्देशालय के ध्यान में लाया गया है कि अब भी कुछ संस्थाए जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेशित छात्रों से निर्धारित राशि से अधिक राशि की मांग कर रही है, साथ ही छात्रो को हॉस्टल में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है। संस्थान स्तर पर हो रही ऐसी अनाधिकृत कार्यवाही को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पुनः सभी संस्थान प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार/इस निदेशालय से जारी उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावें, अन्यथा किसी छात्र से निर्धारित राशि से अधिक राशि यदि किसी भी मद में लिया जाना पाया जायेगा तो ऐसी संस्थान की एनओसी निरस्त करने संबंधी कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तावित कर दिया जावेगा, जिसके लिए ऐसी संस्थान का स्वयं का दायित्व होगा।

Sd
(के0एल0 स्वामी)
अति0 निदेशक (प्रशा.)

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88/2013/567 दिनांक : 03/XI/XIII

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को इस आशय का समाचार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. सचिव, समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन/प्राईवेट फिजियोथैरेपी, नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन फैडरेशन ऑफ जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके स्तर से सभी संस्थानों को उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(के0एल0 स्वामी)
अति0 निदेशक (प्रशा.)